अध्याय IV

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्राथमिक उद्देयय व्यापक स्तर पर जिम्मेदार तथा दीर्घकालिक व्यापार दर्शन को बढ़ावा देना तथा देश के सामाजिक व पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियो को नवीन विचारों और मजबूत प्रबंधन प्रणालियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मोटे तौर पर, सीएसआर आधिदेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इत्यादि से जुड़े है। सीएसआर जागरूकता तथा सीएसआर चेतना बड़ी व मध्यम आकार की कंपनियों के बीच विकसित हुई है, जो अब सीएसआर को उस समुदाय औरपर्यावरण के साथ नीतिबद्ध तौर पर उपयुक्त बनाने हेतु देखते हैं जिसमें वे कामकरते हैं।

चार्ट 4.1

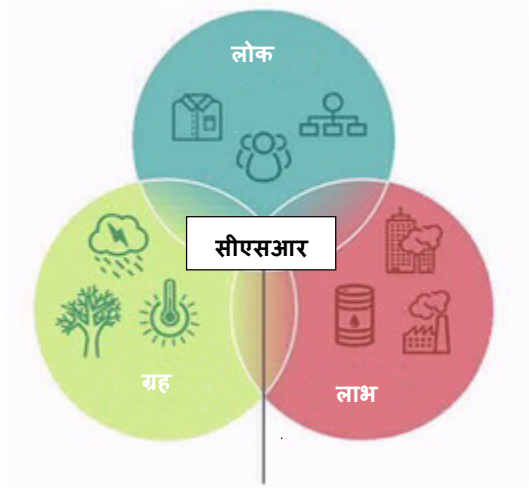

सीएसआर की अवधारणा कंपनियों को अपने प्रबंधकीय कौशल, तकनीक तथा नवीनता के माध्यम से देश की विकास चुनौतियों में योगदान करने के लिए एक मजबूत ढ़ांचा प्रदान करती है। निगमों (कॉर्पोरेट्स) को अपने सीएसआर पहलो को पूरा करने के लिए एक समग्र मार्गदर्शन ढ़ांचा प्रदान करने के अलावा, यह डिजाइन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्वायत्तता तथा लचीलापन प्रदान करती है। निगरानी, कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप के अनुसार किए गए खुलासों पर आधारित होती है।

कानूनी ढ़ाँचा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है तथा कंपनियों के लिए

वित्तीय वर्ष[44] के तुरंत पहले नेट मूल्य, टर्नओवर (कुल बिक्री) तथाशुद्ध लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड निर्धारित करता है जो सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक है। यह खंड (सेक्शन) अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन तथा जाँच के व्यापक तौर-तरीको को निर्दिष्ट करता है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियाँ अधिनियम के अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। अधिनियमकी धारा 135 व अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते है। यह अधिनियम (एक्ट), एक कंपनी के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए पहले तीन वित्तिय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो *प्रतिशत* वार्षिक खर्च करने को अनिवार्य बनाता है।

अधिनियम के अनुसार सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात सीएसआर समिति के गठन, नीति तैयार करना तथा सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्च करना अप्रैल 2014 से लागू हुआ। फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी नियम 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) जारी किए। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों को 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए। सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के द्वारा सीएसआर के तहत, चयन व कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा नियत परिश्रम के पालन पर अधिसूचना (अगस्त 2016) जारी की। दिसम्बर 2018 में, डीपीई ने थीम आधारित दृष्टिकोण पर धन के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। वर्ष 2018-19 के लिए फोकस हस्तक्षेप के लिए स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को थीम (विषय) के रूप में लिया गया। आम थीम पर सीएसआर खर्च का लक्ष्य 60 *प्रतिशत* वार्षिक सीएसआर व्यय था। दिशानिर्देशों के अनुसारनीति आयोग द्वारा चयनित किए गए आकांक्षात्मक जिलो को वरीयता दी जा सकती है।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह पता लगाना था कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014तथा डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था या नहीं। सीपीएसई के प्रयासों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जाँच की:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण व अनुपालन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;

---

[44] ***कंपनी अधिनियम 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता का समाधान करने के लिए, शब्द 'किसी भी वित्तीय वर्ष'को तुरंत वित्तीय वर्ष से पहले के शब्दों से बदल दिया गया है। यह अधिसूचना 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी है।***

- क्या कार्यान्वयन के लिए चयनित सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची VII के तहत दी गई गतिविधियों की सूची में है;
- क्या सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या सीएसआर गतिविधियों के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन को प्राथमिकता देते समय स्थानीय लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है;
- क्या गतिविधियों के चयन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा समयक परिश्रम किया गया है; तथा
- क्या निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा दायरा तथा कवरेज

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान 82 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने 2017-18 में लाभ कमाने वाली कुल 184 सीपीएसई में से 82 सीपीएसई का चयन किया **(अनुलग्नक XXIII)** जिसका विवरण तालिका 4.1 में है।

तालिका 4.1: सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए सीपीएसई का चयन

सीपीएसई का शुद्ध लाभ	सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई की संख्या	*प्रतिशत*
₹ 100 करोड़ से ऊपर	69	62[45]	89.85
₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़	20	08	40.00
₹ 10 करोड़ से ₹ 50 करोड़	50	11	22.00
₹ 10 करोड़ से कम	45	01	02.22
जोड़	**184***	**82**	**44.57**

**प्राथमिक स्रोत: 2017-18 के लिए डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट*

चयनित 82 सीपीएसई में 7 महारत्न, 14 नवरत्न, 45 मिनीरत्न तथा 16 अन्य कंपनियों **(अनुलग्नक-XXIV)** शामिल थी जिसमें से 41 सीपीएसई सूचीबद्ध कंपनी थी **(अनुलग्नक-XXV)**।

[45] ***ओवीएल विदेशों में अपने कार्य करता है तथा इसलिए सीएसआर के अंतरर्गत नहीं आता। शेष छह कंपनियों में से, चार सीपीएसई (एचईसीएल, टीएसपीएल, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा एफसीआई) ने कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार नुकसान उठाया, एक सीपीएसई (एएआईसीएल तथा एएसएल) ने अपने तीन साल पूरे नहीं किए थेतथाएक सीपीएसई (एचसीएल) बंद हो रहा था, इसीलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता।***

4.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार लेखापरीक्षा विश्लेषण किया गया था:

i. कंपनी अधिनियम 2013 (31 मार्च 2019 तक संशोधित) के अधिनियम 135 एवं अनुसूची VII में शामिल प्रावधान

ii. कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 (31 मार्च 2019 तक संशोधित) के प्रावधान

iii. 1 अगस्त 2016 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देश।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण व अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना व कार्यान्वयन, तथा सीपीएसई द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का लेखापरीक्षा जाँच-परीणाम निम्नलिखित अनुच्छेद (पैराग्राफ) में दिए गए है।

4.5.1 योजना

चार्ट 4.2

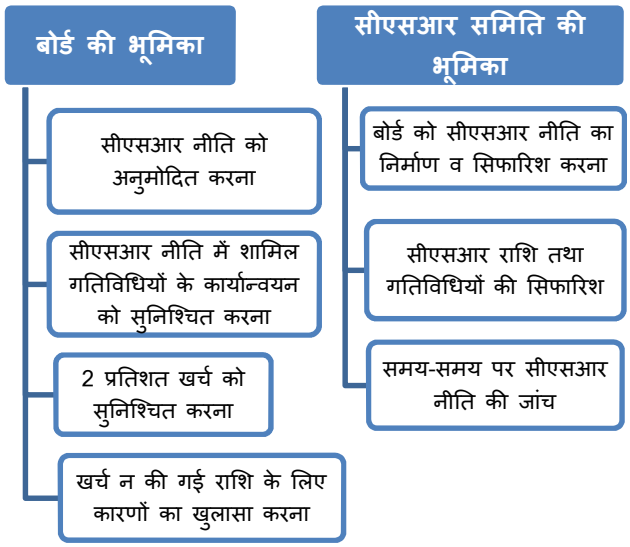

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका पिछले वित्तिय वर्ष में कुल मूल्य ₹ 500 करोड़ या इससे अधिक हो, या ₹ 1000 करोड़ या इससे अधिक का टर्नओवर हो, या ₹ 5 करोड़ या इससे अधिक का लाभ हो, तीन या इससे अधिक निदेशक वाले बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 135(3), (4) व (5) के अनुसार बोर्ड तथा सीएसआर समिति की भूमिका को चार्ट 4.2 में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई, अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए उपरोक्त मानदंड को पूरा कर रही थी। यद्यपि 75 सीपीएसई ने एक स्टैंड़अलोन सीएसआर समिति का गठन किया था, 6 सीपीएसई (सीपीसएल, हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल, आईआरईएल, एमआरपीएल तथा आईओसीएल) ने सतत विकास समिति के साथ ही सीएसआर समित को जोड़ दिया था; एक सीपीएसई (एसजेवीएन) ने सीएसआर समिति को अनुसंधान तथा विकास समिति के साथ जोड़ दिया था। सभी सीपीएसई में अधिनियम की अधिनियम की धारा 135(1) के तहत समिति मे कम से कम तीन निदेशक थे।

4.5.1.2 समिति में स्वतन्त्र निदेशक

जहां स्वतंत्र निदेशक है: 72 सीपीएसई

जहां कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है: 10 सीपीएसई

जहां एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक है: 45 सीपीएसई

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। इसके अलावा, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(1)(i) के अनुसार, धारा 135(1) के तहत कवर की गई गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी को अधिनियम की धारा 149(4) के लिए एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है तथा वहाँ स्वतंत्र निदेशक के बिना सीएसआर समिति हो सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से, जिन्होने सीएसआर समिति का गठन किया था, 72 सीपीएसई मे कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक थे तथा 45 सीपीएसई में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे। दस[46] गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई में एक स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिसकी सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(1)(i) के तहत अनुमति प्राप्त है।

4.5.1.3 सीएसआर नीति का गठन

अधिनियम की धारा 135(3) के लिए यह आवश्यक है कि सीएसआर समिति बोर्ड को एक सीएसआर नीति की तैयारी तथा सिफारिश करेगी। सभी 82 सीपीएसई ने सीएसआर नीति को तैयार किया था तथा संबंधित बोर्ड ने उसे अनुमोदित किया। इसमें से छह सीपीएसई (सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, आरईएमएल, बीआरबीएल तथा एनटीपीवीवीएन) नेसहायक कंपनियाँ होने पर (पहली तीन के लिए सीआईएल, राईटस तथा एनटीपीसी) होल्डिंग कंपनी की नीति को अपनाया था। नीति से संबंधित नियम 6 की तथा सीपीएसई द्वारा उनके अनुपालन से संबंधित आवश्यक तालिका 4.2 में दी गई है।

तालिका 4.2: सीएसआर नियम की आवश्यकता तथा उसका अनुपालना

सीएसआर नियम सं. 6 की आवश्यकता नीति के साथ शामिल	सीपीएसई द्वारा अनुपालन
उन परियोजनाओं की सूची, जिन्हे कंपनी ने कार्यान्वयन अनुसूची के साथ शुरू करने योजना बनाई है	सभी सीपीएसई ने परियोजनाओं की पूरी सूची के स्थान पर अपनी सीएसआर नीति में क्षेत्रो/अनुसूची VII गतिविधियों उल्लेख किया है।
सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न होने	एनएफएल, एनएचडीसी, बीपीसीएल, एनएचपीसी, एसजेवीएन तथा ईआईएल ने अपनी सीएसआर नीति में इसे निर्दिष्ट नहीं किया है।

[46] ***ओवीएलविदेशों में अपने कार्य करता है तथा इसलिए सीएसआर के अंतरर्गत नहीं आता। शेष छह कंपनियों में से, चार सीपीएसई (एचईसीएल, टीएसपीएल, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा एफसीआई) ने कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार नुकसान उठाया, एक सीपीएसई (एएआईसीएल तथा एएसएल) ने अपने तीन साल पूरे नहीं किए थेतथाएक सीपीएसई (एचसीएल) बंद हो रहा था, इसीलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता।***

वाला अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनेगा	यद्यपि एनएफएल तथा बीपीसीएल ने अपनी नीति में सीएसआर गतिविधियों के अधिशेष के व्यवहार (उपचार) का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

4.5.1.4 सीएसआर नीति की जाँच (निगरानी)

सीएसआर नियम 2014 के नियम 6(1)(ए) के अनुसार,कंपनी की सीएसआर नीति में उन सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची शामिल होगी, जिन्हे कंपनी अधिनियम की सूची VII के दायरे में आते हुए, करने की योजना बना रही है,जो इस तरह की परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर तरीकों को भी निर्दिष्ट करता है। 31 मार्च 2014 की अधिसूचना में, अनुसूची VII(i) के अन्तर्गत गतिविधियों में से एक जैसे 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना'को 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना'के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 77 सीपीएसई की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक या जब भी आवश्यकता हो, जाँच की। 5 सीपीएसई (एनट्रीक्स, बीआरबीएल, आईटीआई लिमिटेड, एनएसकेएफडीसी तथा एनटीपीएल) के संबंध में, ऐसा कोई क्रियाविधि मौजूद नहीं हुई। इसके अलावा, सीआईएल, एमसीएल तथा एनसीएल ने मार्च 2014 की अधिसूचना के अनुसार सीएसआर नीति का अद्यतन नहीं किया तथा केवल इसे "निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना" की बजाय केवल "निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा" के रूप में कहा।

4.5.1.5 वार्षिक सीएसआर योजना तथा बजट

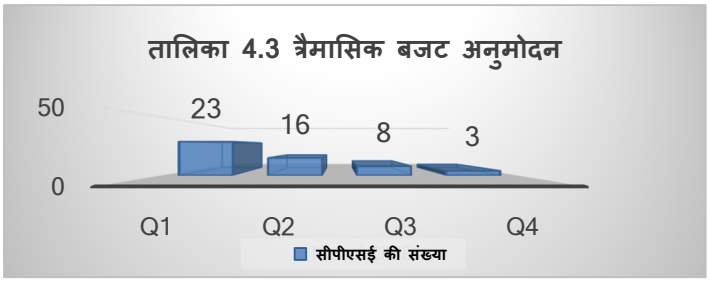

सीएसआर समिति की भूमिका बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों तथा वित्तिय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना है, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह सीएसआर गतिविधियों तथा बजट की योजना और अनुमोदन के लिए आवश्यक है। यद्यपि 11[47] सीपीएसई के पास वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना नहीं थी तथा छह[48] सीपीएसई ने सीएसआर योजना पर समय-समय पर/सामयिक तौर पर सीएसआर समिति तथा बोर्ड से मंजूरी ली थी। एआईईएल ने लंबित विनिवेश प्रस्ताव के मद्देनजर कोई

---

[47] ***एआईईएल, एएलआईएमसीआई, बीआरबीसीएल, गेल गैस, एचएससीसी (इंडिया), आईटीपीओ, एनएचडीसी, एनएसएल, पीवीटीएल तथा आरईसीपीडीसीएल***

[48] ***एनट्रीक्स, भेल, एचएससीसी, आईआरसीटीसी, आईआरईडीए, आईआरएफसी, एनएसकेएफडीसी, एनएसआईसी, पीवीटीएल, आरएआईएलटीईएल, एसपीएमसीआईएल***

कोई वार्षिक सीएसआर योजना तैयार नहीं की। एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजना तथा आगामी वित्तिय वर्ष के लिए बजट को पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि अंतिम तिमाही में धनराशि समाप्त करने में कोई हड़बड़ी न हो। इसके अलावा, यह वित्तिय वर्ष में निधियों का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। यह पाया गया कि 58 सीपीएसई के लिए उपलब्ध डेटा के अनुसार, 7[49] सीपीएसई ने पिछले वर्ष (2017-18) में बज़ट स्वीकृत किया गया, 23[50] सीपीएसई को 2018-19 की प्रथम तिमाही में, 16[51] सीपीएसई ने, दूसरी तिमाही में तथा 8[52] सीपीएसई को तीसरी तिमाही में व तीन[53] सीपीएसई को चौथी तिमाही में अनंतिम बजट स्वीकृत कराया। एनएफडीसी ने जुलाई 2019 में ही बजट को स्वीकृत कराया।

4.5.2 वित्तिय घटक

4.5.2.1 निधियों का आवटंन

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार, किसी भी कंपनी के लिए तीन तत्कालीन विगत वित्तिय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 2 *प्रतिशत* वार्षिक रूप से खर्च करना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 198 के अनुसार, 82 सीपीएसई के लिए शुद्ध लाभ के औसत का 2 *प्रतिशत* ₹ 3585.21 करोड़ था। हालांकि सीपीएसई ने ₹ 3734.39 करोड़ अर्थात ₹ 149.18 करोड[54] अधिक आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने चार सीपीएसई, हुडको (₹ 12.98 करोड़), एनएसएल (₹ 9.92 करोड़), नीपको (₹ 2.91 करोड़) तथा पीएचएल (₹ 0.11 करोड़) के संबंध में सीएसआर निधि का कम आवटंन किया।

4.5.2.2 ऋणात्मक निवल लाभ वाली सीपीएसई

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई में से, धारा 198 के अनुसार, एक सीपीएसई (आईटीआई लिमिटेड) का औसत शुद्ध लाभ ₹ 0.02 करोड़ था। यद्यपि, सीपीएसई ने 2018-19 में ₹ 0.64 करोड़ सीएसआर पर आवंटित तथा खर्च किए।

---

[49] ***आईआरसीओएन, गेल, गेल गैस, मिधानी, एनएचडीसी तथा एसईसीएल***

[50] ***सीपीसीएल, सीएसएल, एमसीएल, एनपीसीआईएल, ओएल, टीएचडीसी, डब्ल्यूएपीसीओएस***

[51] ***एएआई, बेल, बीईएमएल, बीएलसी, बीपीसीएल, जीएसएल, एचसीओएल, एचएएल, आईटीपीओ, केपीएल, एमडीएल, एमओआईएल, एमआरपीएल,नाल्को, एनबीसीसी, एनसीएल,नीपको, एनटीपीसी, पोसोको, राइटस, एसजेवीएन, यूसीआईएल, जीआरएसबीईएल***

[52] ***बीडीएल, सीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, हुडको, आईआरईएल, केआरएल, एमएमटीसी, एनएफएल, एनएलसी, एनटीपीएल, एनआरएल, ओएनजीसी, आरईसीपीडीसीएल, आरवीएनएल, एनएमडीसी***

[53] ***एएलआईएमसीआई, बीआरबीएल, सीसीएल, एनपीसीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, आरईएमसीएल, एससीआई***

[54] ***बीआरसीआईएल, पीएफसी, पीएचएल***

4.5.2.3 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135(5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 *प्रतिशत* खर्च करें। डीपीई ने यह भी यह सलाह (01.08.2016) दी कि वर्ष के लिए आंबटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए सीपीएसई द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

चार्ट 4.4 निधियों का उपयोग

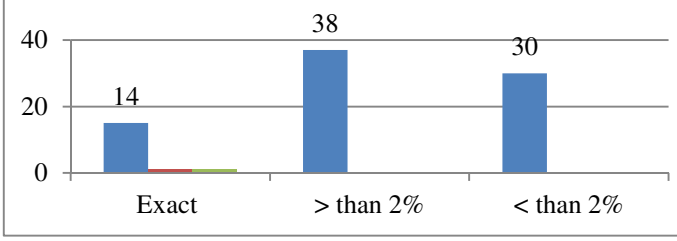

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 3585.21 करोड़ की निर्धारित दो *प्रतिशत* राशि व ₹ 3734.39 करोड़ की आबंटित राशि के प्रति, 82 सीपीएसई ने केवल ₹ 3271.67 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, 2018-19 के लिए सीएसआर खर्च में कमी थी व निर्धारित राशि ₹ 314.19 करोड़ थी। आगे, जबकि 14 सीपीएसई ने वित्तिय वर्ष 2018-19 में सीएसआर निधि को पूर्णत: उपयोग किया, 30 सीपीएसई ने उपयोग में कमी की **(अनुलग्नक XXVI)** तथा 38 सीपीएसई **(अनुलग्नक XXVII)** ने निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च किए। 30 सीपीएसई के संबंध में कमी 2.48 से 100 *प्रतिशत* की सीमा में थी। अधिकतम कमी (100 *प्रतिशत*) तीन सीपीएसई, एएलआईएमसीआई, पीएफसी व रेलटेल में पाई गई, जिन्होने पिछले सालो की खर्च न की गई राशि की अग्रेनीत राशि में से सीएसआर निधि को खर्च किया।

4.5.2.4 अग्रेनीत राशि का उपयोग

तालिका 4.3 (अग्रेनीत राशि का उपयोग)

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	2018-19 में खर्च	अव्यतित राशि
ओएनजीसी	611.08	134.43	476.65
एसईसीएल	186.03	2.51	183.52
पीजीसीआईएल	123.33	8.79	114.54
सीसीएल	42.59	0.00	42.59
आईआरएफसी	39.25	2.01	37.24
पीएफसीएल	131.23	100.50	30.73
बेल	41.61	12.69	28.92
भेल	31.14	11.85	19.29
आईआरईडीए	20.54	4.79	15.74
एन्ट्रिक्स	12.72	0.12	12.60
एमआरपीएल	23.57	11.25	12.32

एनएचडीसी	23.29	11.92	11.37
हुडको	14.89	3.56	11.33
कोनकोर	11.00	0.00	11.00
एनपीसीआईएल	10.92	1.70	9.22
एनएचपीसी	20.97	12.42	8.55
केपीएल	8.44	0.00	8.44
एमडीएल	13.12	7.34	5.78

एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (12 जनवरी 2016), बोर्ड यह तय करने के लिए स्वतन्त्र है कि क्या न्यूनतम सीएसआरनिधिसे किसी भी अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए आगेबढ़ाया जाना है।

42 सीपीएसई ने ₹ 1576.17 करोड़ (वित्तिय वर्ष 2017-18 तथा पिछले वर्षों से) की 15 अव्ययित राशि को अग्रेनीत किया, जिसमें से 2018-19 में ₹ 519.81 करोड़ राशि खर्च की गईतथा ₹ 1056.36 करोड़ राशि (34 सीपीएसई) शेष है। 12[55] सीपीएसई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ₹ 844.19 करोड़ की अव्ययित राशि का जिक्र नहीं किया। जबकि 8[56] सीपीएसई ने 2018-19 में अग्रेनीत राशि राशि को पूर्णत: खर्च किया, आठ[57] सीपीएसई ने पिछले सालो की ₹ 64.52 करोड़ की अव्ययित की गई अग्रेनीत राशि को खर्च नहीं किया। 34 सीपीएसई ने सीएसआर अग्रेनीत राशि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया। मुख्यत: अव्ययित राशि (₹ 0.5 करोड़ तथा ऊपर) वाली सीपीएसई को तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। यह बतान आवश्यक है कि 43 सीपीएसई के संबंध में कुल अव्ययित राशि ₹ 1,676.50 करोड़ थी (वर्तमान वर्ष के बजट से अव्ययित तथा अग्रेनीत राशि)

4.5.2.5 तिमाही वार खर्च

82 सीपीएसई द्वारा पहली तीन तिमाही में कुल खर्च ₹ 1865.19 करोड़ था तथा अंतिम तिमाही में ₹ 1893.81 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 49 *प्रतिशत*) (अग्रेनीत के साथ) यह इंगित करता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर खर्च में शीघ्रता की

चार्ट 4.5 तिमाही वार खर्च

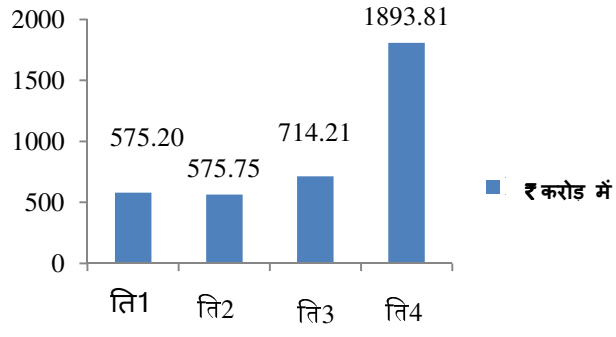

[55] *₹175.10 करोड़ ज्यादा आवंटन (23 सीपीएसई), ₹25.92 करोड़ कम आवंटन (4 सीपीएसई)*

[56] *एआईईएल, हुडको, आईआरएफसी, एमएमटीसी, एनएफएल, एनसीएल, एनपीसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, आरईसीएल, एससीआई, एसईसीएल*

[57] *एएलएमसीआई, बीडीएल, बीपीसीएल, गेल गैस, आईआरसीटीसी, केआरसीएल, आरईएमएल और एसपीएमसीआईएल*

थी 7[58] सीपीएसई ने केवल अंतिम तिमाही खर्च किया। दो सीपीएसई, बीआरसीआई एवंआईआरएफसी ने तिमाही I व तिमाही II में सीएसआर पर कोई खर्च नहीं किया। तीन सीपीएसई बीईएमएल, जीआरएसबीईएल तथा यूसीआईएल[59] ने सीएसआर को समान रूप से खर्च किया था। यद्यपि ऑयल इंडिया लिमिटेड, सीपीसीएल, सीएसएल तथा एनपीसीआईएल का 2018-19 वित्तिय वर्ष के शुरू होने से पहले ही सीएसआर बजट/एड-होक/प्रोविजनल बजट मंजूर किया गया था, लेकिन इन चार सीपीएसई ने पूरे साल निधि को समान रुप से खर्च नहीं किया। एआईईएल ने सीएसआर में पिछले वर्षों की अग्रेनीत को ही खर्च किया क्योंकि वर्ष के दौरान यह विनिवेश के लिए विचाराधीन था।

4.5.2.6 शीर्ष खर्च करने वाला

2018-19 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल खर्च ₹ 3759 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) था। ₹ 614.64 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 16.36 *प्रतिशत*) के साथ ओएनजीसी, उसके बाद आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल तथा बीपीसीएल, शीर्ष खर्च करने वाले थे, तीन सीपीएसई तेल क्षेत्र व दो विद्युत क्षेत्र में है। कुलसीएसआर खर्च ₹ 3759 करोड़ के प्रति, 5 सीपीएसई ने कुल खर्च का 46.93 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 1764.15 करोड़ किया। 7 महारत्न द्वारा ₹ 1731.27 करोड़ (46.06 *प्रतिशत*, 14 नवरत्नों द्वारा ₹ 1087.85 करोड़ (28.94 *प्रतिशत*) तथा 45 मिनीरत्न द्वारा ₹ 818.86 करोड़ (21.78 *प्रतिशत*) सीएसआर खर्च किया गया। शेष 16 सीपीएसई में सीएसआर खर्च ₹ 121.03 करोड़ था। (3.22 *प्रतिशत*)

चार्ट 4.6 सर्वोच्च खर्च कर्ता

₹ करोड़ में

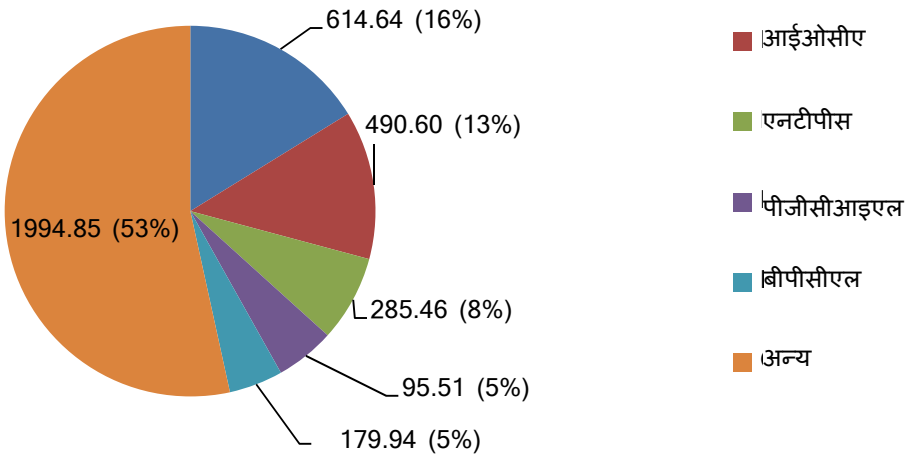

[58] ***बीआरबीएल, बीएलसी, सीसीएल, कॉनकोर, एचकोल, आईआरएफसी, केपीएल, एनटीपीवीवीएन, आरईसीएल***

[59] ***एएलएमसीआई, बीआरबीएल,गेलगैस,एनटीपी वीवीएन, एचएससीसी, एनबीसीसी और पीवीटीएल***

4.5.2.7 सीएसआर खर्च (व्यय) की सीमा

12 सीपीएसई ने ₹ 100 करोड़ से अधिक, 6 सीपीएसई ने ₹ 50 और ₹ 100 करोड़ के बीच, 20 सीपीएसई ने ₹ 10 से ₹ 50 करोड़ के बीच, 30सीपीएसई ने 1-10 करोड़ की सीमा में तथा 14 सीपीएसई ने एक करोड़ से कम खर्च किया।

चार्ट 4.7 सीएसआर व्यय की सीमा

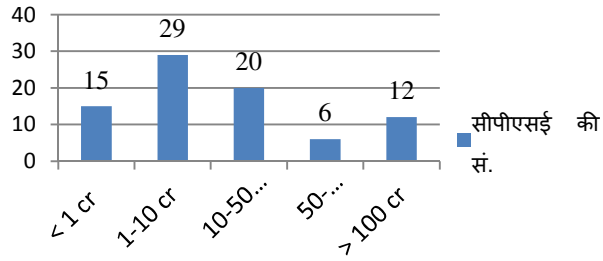

4.5.2.8 राज्यवार सीएसआर व्यय

82 सीपीएसई में से 76 सीपीएसई (एनएफडीसी तथा पीवीटीएल सहित)[60] ने दमन व दीव को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए एक से अधिक राज्यों में सीएसआर गतिविधियां की,तथा ओएनजीसी और आईओसीएल ने अधिकतम राज्यों (32); उसके बाद पीजीसीआईएल (28), एचपीसीएल (28), एएआई (25), बीपीसीएल (24), तथा गेल इंडिया (23) में सीएसआर गतिविधिया की थी। 6 सीपीएसई[61] ने केवल एक राज्य अर्थात क्रमश: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना तथा हरियाणा में खर्च किए थे। अधिकतम सीएसआर उड़ीसा (₹ 481 करोड़) उसके बाद उत्तर प्रदेश (₹ 328 करोड़) तथा असम (₹ 307 करोड़) खर्च किए थे। उड़ीसा, में एमसीएल द्वारा अधिकतम (₹ 167 करोड़) खर्च किए गए। इसके बाद आईओसीएल (₹ 146 करोड़) उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीएसआर खर्च एनटीपीसी द्वारा (₹ 77 करोड़), उसके बाद गेल इंडिया द्वारा (₹ 42 करोड़) था। इन तीन राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 44 *प्रतिशत* हिस्सा बनता है। अंडमान व निकोबार में मेस सीएसआर व्यय सबसे कम (₹ 0.36 करोड़) था। उत्तर प्रदेश

चार्ट 4.8
अधिकतम खर्च करने वाले राज्य

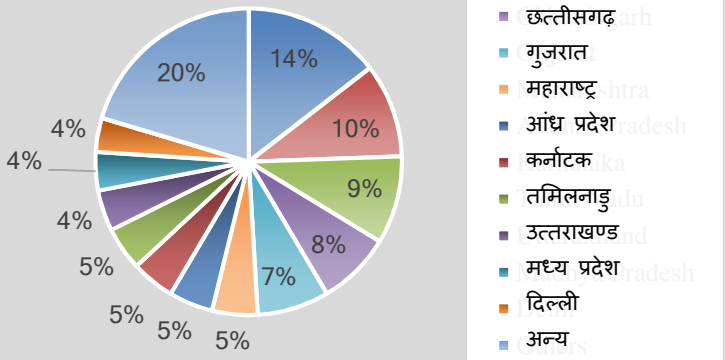

---

[60] ***बीईएमएलने सभी तिमाहियों में क्रमश: ₹0.84 करोड़, ₹0.77 करोड़ ₹0.75 करोड़ तथा ₹0.73 करोड़ खर्च किए; यूसीआईएल ने सभी तिमाहियों में ₹0.82 करोड़ खर्च किए तथा जीआरएसबीईएल ने सभी तिमाहियों में क्रमश: ₹0.62, ₹0.70 करोड़ ₹0.66 करोड़ तथा ₹0.70 करोड़ खर्च किए।***

[61] ***एनएफडीसी और पीवीटीएल ने सारी सीएसआर निधि को पीएमएनआरएफ तथा गंगा सफाई निधि में जमा करा दिया।***

में अधिकतम ध्यान दिया गया अर्थात 45 सीपीएसई द्वारा, और उसके बाद नई दिल्ली (36 सीपीएसई) तथा महाराष्ट्र (30 सीपीएसई) द्वारा ध्यान दिया गया। दादर, नगर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप की ओर केवल एक सीपीएसई क्रमश: आईआरसीटीसी, आईओसीएल तथा एससीआई द्वारा ध्यान दिया गया। पुडुचेरी पर तीन सीपीएसई तथा अंडेमान व निकोबार पर केवल दो सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया।

4.5.2.9 जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सीएसआर व्यय

82 सीपीएसई में से केवल 12 सीपीएसई[62] ने 2018-19 में जम्मू और कश्मीर में 17.95 करोड़ अर्थात कुल सीएसआर व्यय का 0.48 *प्रतिशत* खर्च किया गया। इसी प्रकार, उत्तर पूर्वी राज्यों (सिक्किम को मिलाकर कुल 8 राज्य) के संबंध में, 23 सीपीएसई[63] ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 380.85 करोड़ खर्च किए जो कुल सीएसआर व्यय का 10.14 *प्रतिशत* था। उत्तरपूर्वी राज्यों में असम में अधिकतम व्यय ₹ 307.40 करोड़ तथा मिजोरम में न्यूनतम ₹ 0.75 करोड़ खर्च किए गए।

4.5.2.10 क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

लेखापरीक्षा ने 9 क्षेत्रों (अन्य को मिलाकर) में 82 सीपीएसई को कवर किया। पैट्रोलियम क्षेत्र द्वारा (12 सीपीएसई, ₹ 1817.65 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया, उसके बाद विद्युत क्षेत्र (15 सीपीएसई, ₹ 800.19 करोड़) तथा खनन क्षेत्र द्वारा (9 सीपीएसई, ₹ 641.88 करोड़) खर्च किए गए। न्यूनतम व्यय उर्वरक क्षेत्र द्वारा, केवल एक सीपीएसई द्वारा (₹ 2.29 करोड़) में किया गया।

तालिका 4.4: (क्षेत्रवार सीएसआर व्यय)

क्र. सं.	क्षेत्र	सीपीएसई की संख्या	2% करोड़ में (अग्रेनीत राशि के साथ)	वास्तविक व्यय करोड़ में (अग्रेनीत राशि के साथ)
1	विमानन	03	88.07	87.83
2	खनन	09	781.02	641.88
3	रक्षा	08	212.06	163.66
4	उर्वरक	01	10.14	2.29
5	पैट्रोलियम	12	2414.75	1817.65
6	विद्युतट्रासमिसन/	15	1176.51	800.19
7	रेलवे	9	166.74	63.90

[62] ***एएलआईएमसीआई, बीआरबीसीएल, जीआरएसबीइएल, एमसीएल, एमआईडीएचएएनआई और एनटीपीवीवीएन***

[63] ***एएआई,एंट्रिक्स, बीपीसीएल, सीआईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, आईआरसीओएन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी और आरआईटीईएस***

8	जहाजरानी	3	36.17	20.77
9	अन्य	22	275.92	160.83
जोड़		**82**	**5161.38**	**3759**

तालिका में दिए गए डेटा के अनुसार, सभी क्षेत्रों में सीएसआर व्यय में कमी थी। अधिकतम कमी पैट्रोलियम क्षेत्र सीपीएसई द्वारा ₹ 597.1 करोड़, उसके बाद विद्युत क्षेत्र द्वारा ₹ 376.32 करोड़ थी।

4.5.2.11 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4(6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओएच) को कुल सीएसआर निधि के 5 *प्रतिशत* तक सीमित रखा जाना है। अलग से उल्लिखित ओएच खर्चमें आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण तथा अन्य उपरिव्यय को शामिल किया जाना चाहिए। ₹ 3759 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से 35 सीपीएसई के लिए ओएच की औसत प्रतिशतता 2.46 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 92.36 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 32 सीपीएसई ने सीएसआर के तहत किसी ओएच को सूचित नहीं किया गया।
- एमसीए संशोधन 12.09.2014 के अनुसार, कंपनिया अपने स्वयं के कर्मियों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों की सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कम से कम तीन वित्तिय वर्षों के स्थापित ट्रैक के साथ संस्थानों के माध्यम से कर सकती हैं लेकिन प्रशासनिक व्यय सहित इस तरह के व्यय एक वित्तिय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर खर्च का पाँच *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में, कुल 23 सीपीएसई मे ओएच के तहत ₹ 76.03 करोड़ का वेतन शामिल था। 9 सीपीएसई[64] के लिए वेतन ₹ 1 करोड़ से अधिक था।
- तीन सीपीएसई अर्थात एचसीओएल (5.28 *प्रतिशत*), केपीएल (6.47 *प्रतिशत*), तथा पीएफसीएल (5.27 *प्रतिशत*) के संबंध में ओएच 5 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक था।

4.5.2.12 आम विषय पर सीएसआर व्यय

डीपीई ओएम दिनांक 10.12.2018 के अनुसार (डीपीई दिनांक 01.08.2016 के पहले की सलाह के अतिरेक), सक्षम प्राधिकारी ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए कार्यवाई के निम्नलिखित विषयों को मंजूरी दी थी:

---

[64] ***एएआई, एंट्रिक्स बीपीसीएल, सीआईएल, कोनकोर, ईआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, आईआरसीओएन, आईआरसीटीसी, निपको, एनएचपीसी, एनआरएल, एनटीपीसी, ऑयल, ओएनजीसी, पीएफसीएल, पीजीसीएल, आरपीडीसीएल, आरईसीएल, आरआईटीईएस, एसजेवीएन***

(क) सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रत्येक वर्ष एक आम विषय को चुनना चाहिए। चालू वित्त वर्ष के लिए 2018-19, स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को फोकस हस्तक्षेप के विषय के रूप में लेना चाहिए।

(ख) विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 *प्रतिशत* होना चाहिए तथा

(ग) नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षात्मक जिलो को वरीयता दी जा सकती है।

82 सीपीएसई में से, केवल 43 ही आम विषय पर सीएसआर व्यय के 60 *प्रतिशत* लक्ष्य प्राप्त कर सकी तथा 39 सीपीएसई **(अनुलग्नक XXVIII)** लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। 39 सीपीएसई में से, एनएफडीसी तथा पीवीटीएल ने क्रमश: पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा फंड़ में पूरे सीएसआर फंड़ को जमा कराया तथा चार सीपीएसई (सीपीसीएल, एनएफएल, आ व एसजेवीएन) ने आम विषय पर सीएसआर खर्च का कम से कम 50 *प्रतिशत* लक्ष्य हासिल कर सके। सीएसआर खर्च को आम विषय पर करने के लिए आकांक्षी जिलो को वरीयता देने के संबंध में, 19 सीपीएसई[65] ने नीति आयोग के अनुसार इन जिलो को प्राथमिकता नहीं दी थी।

अधिकतर सीपीएसई ने उल्लेख किया कि आम विषय तथा आकांक्षात्मक जिलों पर दिसम्बर 2018 में दिशानिर्देश प्राप्त हुए थे और वर्ष 2018-19 का सीएसआर बजट पहले ही परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए आवंटित/प्रतिबद्ध था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- ₹ 442.18 करोड़ का व्यय आम विषयो पर आकांक्षात्मक जिलो में किया गया अर्थात कुल सीएसआर व्यय का 11.78 *प्रतिशत*।
- केवल 55 सीपीएसई ने आकांक्षात्मक जिलो में सीएसआर व्यय किया।
- अधिकतम सीएसआर आकांक्षात्मक जिलो में आईओसीएल द्वारा (₹ 58.81 करोड़), उसके बाद एसईसीएल (₹ 49.09 करोड़) तथा उसके बाद एनसीएल (₹ 40.58 करोड़) द्वारा किया गया।
- छत्तीसगढ़ के आकांक्षात्मक जिलो को ₹ 72.78 करोड़ के सीएसआर व्यय का अधिकतम फोकस मिला। इस राज्य में अधिकतम व्यय एसईसीएल (₹ 39.02 करोड़) तथा उसके बाद एनएमडीसी (₹ 26.18 करोड़) द्वारा था।
- बीआरबीएल ने अपने कुल सीएसाआर खर्च का100 प्रतिशत (₹ 0.61 करोड़) इसके बाद सीसीएल ने 88.70 *प्रतिशत* (₹ 26.33 करोड़) तथा एमएमटीसी ने ₹ 71.62 *प्रतिशत* (₹ 0.94 करोड़) आकांक्षात्मक जिलो में व्यय किया।

---

[65] ***बीईएल,सीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एचएएल, एनएचडीसी, एनआरएल, पीजीसीएल और आरईसीएल***

4.5.2.13 सीएसआर परियोजना से अधिशेष

सीएसआर नियम 2014 के अनुसार, सीएसआर परियोजना से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। 82 सीपीएसई में से, केवल 2 सीपीएसई (बीईएल तथा एचएएल) ने सीएसआर परियोजना से अधिदेश की सूचना दी थी तथा इसे वापस सीएसआर निधि में ही जमा करा दिया।

4.5.2.14 सीएसआर गतिविधियों से परिसंपत्ति निर्माण

82 सीपीएसई में से, सीएसआर गतिविधियों में से 2018-19 के दौरान 17 सीपीएसई ने सीएसआर परिसंपत्तियां बनाई। यद्यपि कंटेनर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़कर सीपीएसई के नाम पर कोई सीएसआर संपत्ति नहीं है तथा सभी सीएसआर संपत्ति या तो राज्य सरकार, स्थानीय प्रतिनिधि, एनजीओ या लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी गई। सीएसआर परिसंपत्ति अर्थात उत्तर प्रदेश मे पेरिशेबल कारगो सेन्टर, गाजीपुर व राजातालाब, यद्यपि अधिनियम की अनुसूची VII के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषय के तहत किए गए को सीपीएसई के नाम पर संपत्ति के रूप में दिखाए गए।

4.5.3 परियोजना कार्यान्वयन

4.5.3.1 सीएसआर परियोजना/गतिविधियों का चयन

आधारभूत सर्वेक्षण तथा निर्धारण का संचालन: 82 सीपीएसई में से, 44 सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों/परियोजना की पहचान के लिए 7605 योजनाओं के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण किया तथा आवश्यकता निर्धारण अध्ययनकिया। जिसमे से 14 सीपीएसई ने आधारभूत तथा निर्धारण अध्ययन के संचालन पर ₹ 2.15 करोड़ खर्च किए। 31 सीपीएसई ने 539 परियोजनाओं के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया।

4.5.3.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 के नियम 4, विशेष रूप से धारा 135(1) के तहत सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के तरीके से संबंधित है। बोर्ड अपनी सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन करने का निर्णयएक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या सीपीएसई या इसके होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा द्वारा स्थापित कोई कंपनी के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत करसकता है। 11,215 सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका निम्नानुसार था:

- प्रत्यक्ष/आंतरिक: कुल 2,763 परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष/आंतरिक रूप से कार्यान्वित की गई थी।

- बाह्य एजेन्सियां: 8,452 परियोजनाएं सरकारी/बाह्या एजेन्सियों, एनजीओ, सोसायटी इत्यादि द्वारा कार्यान्वित की गई।

बाह्या एजेन्सियो द्वारा कार्यान्वित 8,452 योजनाओं में से, सीपीएसई ने 1654 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का सहारा लिया था, 734 परियोजनाएं नामांकन के आधार पर तथा शेष परियोजनाएं या तो सरकारी एजेन्सियों/सस्थाओं, स्थानीय निकायों/समुदाय आधारित संगठनों या गैर सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एंजेन्सियों आदि से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शुरू की गई थी।

4.5.3.3 केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र

जैसा कि चार्ट में संकेत दिया गया है, स्वास्थ्य पर अधिकतम (35 *प्रतिशत*) ध्यान दिया गया। 76 सीपीएसई द्वारा इस शीर्ष के तहत कुल व्यय ₹ 1,310.87 करोड़ था। अगला अधिकतम व्यय (1231.21 करोड़, 74 सीपीएसई के द्वारा) शिक्षा में अर्थात 33 *प्रतिशत* था। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानो के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों के लिए प्रदान किए गए फंड़/योगदान, (चार सीपीएसई द्वारा ₹ 3.33 करोड़), सशस्त्र बलो के दिग्गजो, युद्ध विधवाओं और उनके अश्रितो के (15 सीपीएसई द्वारा ₹ 8.11 करोड़) तथा केन्द्रीय सरकार फंड़ में योगदान (11 सीपीएसई द्वारा ₹ 10.34 करोड़) सबसेकम ध्यान के क्षेत्र थे। एनएफडीसी ने सारी सीएसआर राशि प्रधान मंत्री सहायता कोष मे जमा करा दी। एनटीपीवीवीएन ने सारा सीएसआर फंड़ ग्रामीण विकास पर खर्च कर दिया। दो सीपीएसई (ओएनजीसी तथा एमआरपीएल) ने अनुसूची VII में निहित गतिविधियों (11 में से 9) को कवर किया । दो सीपीएसई (आईटीआई लिमिटेड तथा एमओआईएल) ने क्रमशः आपदा प्रबंधन पर (₹ 0.05 करोड़) तथा एमओआईएल फाउंडेशन ट्रस्ट (₹ 5.20 करोड़) पर खर्च/सहयोग किया। जबकि एमओआईएल फाउंडेशन ट्रस्टकी किसी भी जानकारी के अभाव में उद्देश्य/श्रेणी को "अन्य" मे दिखाया गया। पीएफसी ने अनुसूची VII गतिविधियों के अलावा

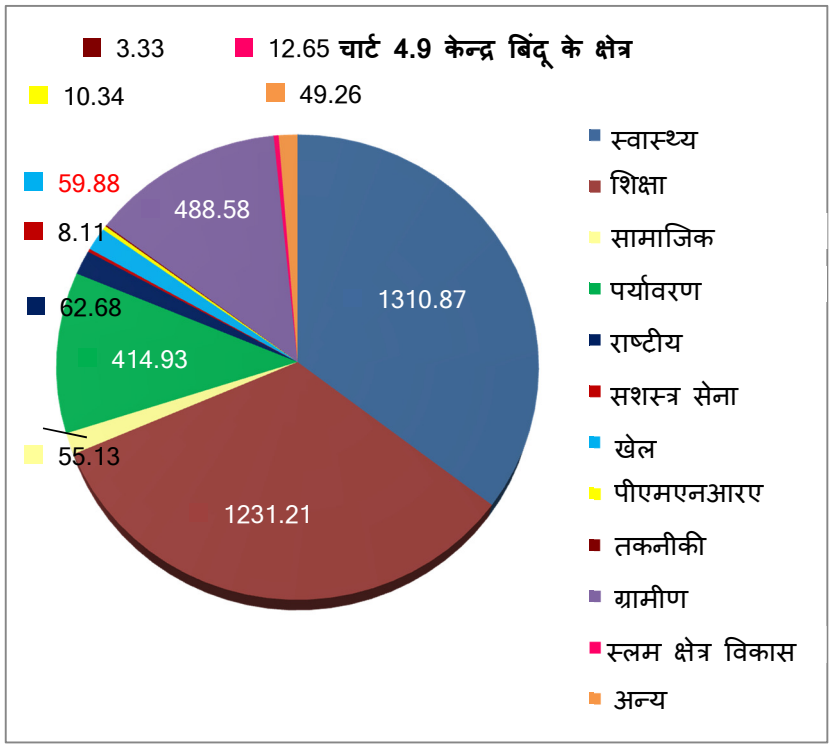

चार्ट 4.9 केन्द्र बिंदू के क्षेत्र

'अन्य' के तहत 'सौभाग्य'योजना के होर्डिंग्स पर सीएसआर व्यय के लिए ₹ 42 करोड़ खर्च किए।

चार्ट 4.10: अधिकतम सीएसआर व्यय पर आधारित चार अधिकतम केन्द्रित अनुसूची VII थीम का विश्लेषण

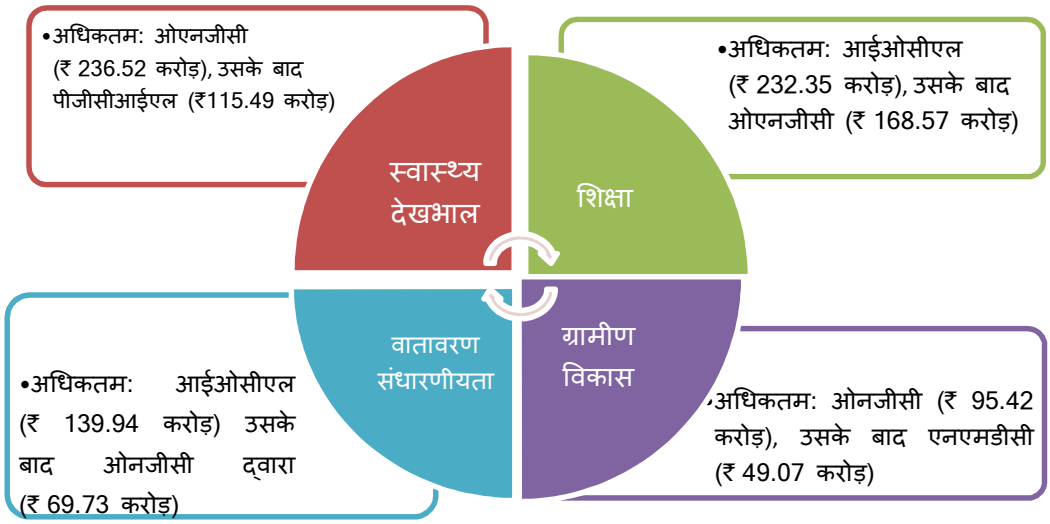

अनुसूची VII विषयों के उपविषय के तहत, स्वास्थ्य देखभाल के तहत पानी और स्वच्छता पर अधिकतम सीएसआर व्यय अर्थात ₹ 543.31 करोड़ खर्च किए गए, इसके बाद क्रमश: शिक्षा विषय तथा ग्रामीण विकास के तहत अवसरंचना ढ़ांचे के सर्मथन पर ₹ 391.88 करोड़ व ₹ 349.91 करोड़ खर्च किए गए। सबसे कम सीएसआर व्यय ग्रामीण विकास के तहत क्रमश: जागरूकता सृजन तथा युवा क्लबोंके उपविषय पर ₹ 4.56 करोड़ तथा ₹ 7.68 करोड़ किया गया। ओएनजीसी, भेल तथा एनएचपीसी ने केन्द्रित क्षेत्रो में उपविषयवार श्रेणियों को बनाए नहीं रखा।

4.5.3.4.1 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) प्रावधान करती है कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रो जहां वह काम करती है को वरीयता देगी ।

- 82 सीपीएसई में से, 14 सीपीएसई[66] नेअपनी सीएसाआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया।

---

[66] ***एएलआईएमसीआई, बीईएमएल, बीएलसी, सीएसएल, जीएसएल, गेल गैस,जीआरएल, आईओसीएल, आईआरईएल, केआरएल, एनएफडीसी, निपको, एनएलसीआईएल, एनपीसीएल, एनएलसीटीपीएल, एनबीसीसी, ऑयल, टीएचडीसी और आरईएमएल***

- 79 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ₹ 3585.73 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से (प्रशासनिक ओएच सहित), 37 सीपीएसई ने गैर-परिचालन क्षेत्र में ₹ 652.10 करोड़ व्यय किए जो कि 18.19 *प्रतिशत* रहा।
- आईआरईडीए तथा एमडीएल ने गैर परिचालन क्षेत्र में सीएसआर फंड़ का 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय किया।

चार्ट 4.11: स्थानीय क्षेत्र में सीएसआर व्यय

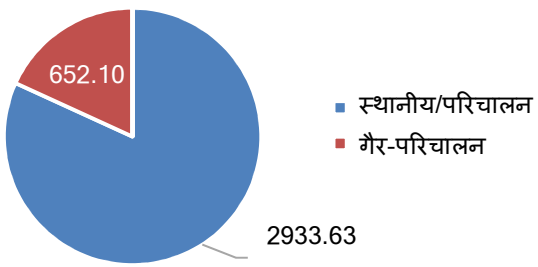

- 42 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रो में 100 *प्रतिशत* व्यय किया। एनडीएफसी तथा पीवीटीएल ने क्रमश: पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा फंड़ में सारा सीएसआर फंड जमा कर दिया।
- एसईसीएल ने अपनी सीएसाआर नीति का उल्लंघन करते हुए परिचालन क्षेत्र के 25 किलोमीटर से बाहरी क्षेत्र में 20 *प्रतिशत* के अधिकतम सीमा के अलावा/के अतिरिक्त ₹ 42.13 करोड़ व्यय किए। इसी प्रकार, एमडीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर व्यय के लिए स्थानीय व अन्य क्षेत्र में अनुपात 60:40 था तथा एमडीएल द्वारा गैर परिचालन क्षेत्र में सीएसआर निर्धारित व्यय 40 *प्रतिशत* के मुकाबले 59.86 *प्रतिशत* था।

4.5.3.5 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं की फंडिंग/निधियन

भारत सरकार ने समाज के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं की शुरूआत की तथा निधियन के लिए सीपीएसई से संपर्क किया। सीपीएसई अधिनियम की अधिसूची VII की शर्तों को पूरा करने के लिए सीएसआर के अधीन ऐसी योजनओं/परियोजनाओं के निधियन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे अनुसूची VII के तहत आने वाली परियोजनाएं व योजनाएं सीएसआर के तहत निधियन के लिए योग्य थी। 82 सीपीएसई में से, 24 सीपीएसई[67] ने भारत सरकार की योजनाओं पर कोई राशि व्यय नहीं की। लेखापरीक्षा ने सीएसआर के तहत सीपीएसई द्वारा कुछ भारत सरकार परियोजनाओं के निधियन की समीक्षा की तथा जाँच-परिणाम नीचे दिए गए है:

---

[67] ***एनट्रिक्स, बीडीएस, बीआरबीएल, बीपीसीएलश, सीएसएल, एचएसएल (इंडिया) लिमिटेड, मिधानी, एनएसकेएफडीसी, एनएफडीसी, एनबीसीसी (सर्विसेस), रेलटेल, एससीआई, एसपीएमसीआइएस, यूसीआईएल***

स्वच्छ भारत (एसबी) मिशन

अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीपीई ने सीपीएसई को गंगा कायाकल्प के लिए स्वच्छ गंगा निधि तथा एसबी मिशन पर सीएसआर निधि का 33 *प्रतिशत* व्यय करने का निर्देश (अगस्त 2016) दिया। एमओयू के तहत निष्पादन मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों (जनवरी 2018) के अनुसार, सीपीएसई को एसबी का अनुपालन पूरा करना होगा। एसबी के तहत अनुमत घटको (i) एसबी कोष, (ii) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) तथा (iii) स्वच्छ गंगा निधि में योगदान था। हालांकि उपर्युक्त डीपीई अधिसूचना का स्थान डीपीई अधिसूचना दिनांक 10/12/2018 ने ले लिया जो कहता है कि 2018-19 में सीएसआर खर्च का लगभग 60 *प्रतिशत* आम थीम, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर होना चाहिए।

48 सीपीएसई द्वारा एसबी पर कुल खर्च ₹ 414.46 करोड़ (₹ 156.98 करोड़ एसबी पर + ₹ 76.21 करोड़ स्वच्छ गंगा पर + ₹ 181.27 करोड़ पीएमयूवाई पर) था। आगे, अन्य भारत सरकार योजनाओं/परियोजनाओं पर सीएसआर व्यय का नीचे तालिका 4.5 में उल्लेख किया गया है।

तालिका 4.5: भारत सरकार योजनाओं पर सीएसआर व्यय/सरकारी निधि में योगदान

भारत सरकार की योजना/सरकारी निधियों का नाम	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्यानाम/
राष्ट्रीय खेल विकास निधि/ खेलो इंडिया	3.59	4 सीपीएसई (बेल, कोनकोर, नाल्को, पीजीसीआईएल)
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष/ सेना कोष	5.21	9 सीपीएसई[68]
मिडडे मील योजना	1.42	3 सीपीएसई (एमडीएल, एससीआई, टीएचडीसी)
कौशल विकास भारतमिशन	47.69	10 सीपीएसई[69]
शुजलम्, शुफलम् योजना, नलजल योजना/ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	0.77	3 सीपीएसई (पीजीसीएल, एसईसीएल, एचयूडीसीओ)
पीएमएनआरएफ/सीएमआरएफ	1.02	2 सीपीएसई (एमआरपीएल, एनएफडसी)
शिरीन विकास कार्यक्रम	3.17	2 सीपीएसई (बीएलसी, नाल्को)
बेटी बचाओं, बेटी बढ़ाओं	3.14	2 सीपीएसई (टीएचडीसी, नाल्को)
आपदा प्रबंधन	0.05	1 सीपीएसई (आईटीआई)

[68] ***एन्ट्रिक्स, बीईएमएल, कोनकोर, सीपीसीएल, जीएसएल, आईआरएफसी, एमडीएल, एमडीएल, एमआरपीएल, एनपीसीआईएल***

[69] ***बीपीसीएल, बीआरसीआईएल, ईआईएल, जीएसएल, एचसीओएल, एचएएल, एनएएलसीओ, एनआरएल, एससीआई, टीएचडीसी (केवल दस सीपीएसई द्वारा प्रदान किए गए आकड़े).***

आईटीआई को समर्थन	0.16	1 सीपीएसई (एमडीएल)
सर्वज्ञान	0.01	1 सीपीएसई (आईटीआई)
प्रत्यक्ष रूप से देखे गए उपचार	0.44	1 सीपीएसई (एनटीपीसी)
वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	0.02	1 सीपीएसई (आईटीआई)
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1.74	1 सीपीएसई (एनआरएल)
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	0.06	1 सीपीएसई (एनआरएल)
उड़ान योजना - जनजातीय बालशिक्षा	0.20	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
इंजॉर योजना बीपीएल - छात्रों	0.19	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम	0.20	1 सीपीएसई (पीएचएल)
हरियार - वृक्षारोपण	10.26	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	0.91	1 सीपीएसई (आईओसीएल)
हृदय	0.59	1 सीपीएसई (टीएचडीसी)
उजाला	0.18	1 सीपीएसई (टीएचडीसी)

4.5.3.6 सीपीएसई द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निष्कर्ष

(i) सीएसआर गतिविधियों के तहत कवर न की जाने वाली गतिविधियां

पीजीसीआईएल ने शिक्षा क्षेत्र के तहत मुम्बई के 105 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने के लिए ₹ 30.53 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के खिलाफ ₹ 0.16 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा, पीजीसीआईएल के सीएसआर व स्थिरता नियम के अनुसार 'शिक्षा'के मुख्य क्षेत्र में स्कूल/कॉलेज/ हॉस्टल की अवसंरचना, छात्रवृति तथा मानसिक व शारीरिक रूप से विकलंग बच्चों/व्यक्तियों पर व्यय करना शामिल है। इसीलिए, उपरोक्त योजना पर किया गया व्यय इसके अपने सीएसआर व स्थिरता नियमों के अनुरूप नहीं था। प्रबंधन ने कहा कि परियोजना को 'ग्रामीणविकास' तथा 'शिक्षाको बढ़ावा देने' के मुख्य क्षेत्र के तहत अनुमोदित किया गया था और परियोजना के लिए किए गए व्यय को सीएसआर के अधीन योग्य माना जा सकता है। पीजीसीआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना के लिए किया गया व्यय उसके अपने सीएसआर व स्थिरता नियमों के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करता।

ii) बिना यूटिलाइजेशन (उपयोगीकरण) सर्टिफिकेट (यूसी) /कार्यान्वयन एजेंसी के अनुचित यूसीतहत सीएसआर व्यय

सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
सीसीएल	₹ 3.90 करोड़ के लिए सरकारी एजेन्सी से यूसी प्राप्त नहीं हुआ
एसईसीएल	**उचित यूसी के बिना ₹ 47.89 करोड़ खर्च किए (स्वीकृत ऑर्डर के अनुसार यूसी नहीं था)**

केपीएल	जिला कलेक्टर/ट्रस्ट प्राधिकारी से ₹ 3.29 करोड़ का यूसी प्राप्त नहीं हुआ
एनटीपीसी	एसडीएमसी से ₹ 0.75 करोड़ के लिए यूसी प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) एक इंवेट की वित्त व्यवस्था

जनवरी 2016 में एमसीए द्वाराजारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएसआर के तहत मैराथन/पुरस्कार/विज्ञापन इत्यादि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- एनआरएल ने एक बार होने वाले आयोजनो पर ₹ 49.38 लाख खर्च किए जैसे कि हाथी के अतिक्रमण से सुरक्षा के लिए गाँवों व रिफाइनरी के आस-पास सर्च लाइट का वितरण, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, कला व वादविवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सेनेटरी नेपकिन का वितरण आदि।
- एनटीपीसी, पीएफसी तथा पीजीसीआईएल ने देश के विभिन्न राज्यों में सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के होर्डिंग के प्रदर्शन के लिए ₹ 96.07 करोड़ (क्रमश: ₹ 48.31 करोड़, ₹ 41.40 करोड़ तथा ₹ 6.36 करोड़) खर्च किए। पीजीसीआईएल ने कहा कि अभियान के प्रस्तावित लाभार्थी आबादी के गरीब व हाशिये के तबके थे, जिन्हे अभी तक घरों में बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए है। इसका नतीजा यह हुआ किमीटरींग के साथ अधिकृत चैनल के माध्यम से कई बिजली कनेक्शन लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप अधिक ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति के कारण उनकी अजीविका तथा विकास बदल रहा है। यद्यपि, यह तथ्य है कि विज्ञापन पर होने वाला खर्च एमसीए के परिपत्र के अनुसार सीएसआर खर्च के योग्य नहीं है।
- एनटीपीसी द्वारा नुक्कड नाटक संचालन तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेटिंग प्रतियोगिता पर ₹ 0.87 करोड़ खर्च किए गए।

4.5.3.7 उल्लेखनीय परियोजनाएं

82 सीपीएसई ने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के चार केन्द्रित क्षेत्रो में 2018-19 में कुल 11,215 सीएसआर परियोजनाएं शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के तहत कुल खर्च क्रमश: ₹ 1,231.21 करोड़, ₹ 1,310.87 करोड़ तथा ₹ 414.74 करोड़ था। कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध है:

तालिका 4.6: उल्लेखनीय परियोजनाओं

सीपीएसई	उल्लेखनीय परियोजनाएं
शिक्षा	
एचपीसीएल	परियोजना नन्ही कली - लड़कियो के लिए शिक्षा
बीपीसीएल	3500 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया,योजना'अक्षर' 48595 बच्चो तकगया तथा सागर में समुदाय में 3459 तक तथा 48,377 बच्चे तथा 1472 स्वयंसेवक नन्दुबार में।
आईआरसीटीसी	आकांक्षात्मक जिलो में टॉयलेट को बनाने के लिए अधिसरंचना सहायता तथा स्कूलो में फर्नीचर के लिए प्रस्ताव
ओएनजीसी	संपूर्ण भारत में विभिन्न केवी में ई-कक्षा को स्थापित करना
गेल	उत्कर्ष योजना - हाशिए पर रहने वाले छात्रो को आईआईटी - जेईई कोचिंग
स्वास्थ्य सेवा तथा सेनिटेशन	
ओएनजीसी	ओएनजीसी मल्टीस्पेशेलिटी अस्पताल -राजबरी , सीबसागर, असम
पीजीसीआईएल	इंदिरा गाँधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना में विश्राम सदन का निर्माण
बीपीसीएल	एक ट्रेन में लाइफलाइन एक्सप्रेस अस्पताल में चिकित्सा सेवा
रोजगार तथा कौशल विकास	
बीडीएल, ईआईएल, एचपीसीएल, जीएसएल, सीएसएल, एनएचपीसी, केपीएल, पीजीसीआईएल	कौशल विकास प्रशिक्षण, जो आमतौर पर युवाओं, महिलाओं/ संविदाकर्मियों/विकलांग व्यक्तियों आदि को शामिल करता है।
पर्यावरण	
ईआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीएल	ईंधन संयत्र के लिए अपशिष्ट (आईओसी तथा ईआईएल द्वारा), बेतुल मध्य प्रदेश में सौर पी वी चूल्हा वितरण के लिए वित्तीय सहायता (ओएनसीसी की द्वारा), कोरामपल्म जलाशय का डी-सिल्टिंग, थारुवलुरणी में जल संवर्धन और भू-जल सुधार के लिए (एनटीपीएल द्वारा)

4.5.4 निगरानी ढ़ाचा

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5 (2) क अनुसार, सीएसआर समिति, कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने का.ज्ञा. दिनांक 01.08.2016 के द्वारा सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए एक संस्थापन तंत्र रखने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से, केवल एनएफड़ीसी ने सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए सस्थागत तंत्र के संबंध में, 13 सीपएसई ने मासिक समीक्षा बैठके की, 30 सीपीएसई ने

त्रैमासिक, 5 सीपीएसई ने छमाही, 8 सीपीएसई ने परियोजना की आवश्यकता के अनुसार नियमित/ समवर्ती/एकाधिक/लगातार बैठके की। शेष सीपीएसई ने सीएसआर नीति, एमओयू, लेटर ऑफ अवार्ड, मील के पत्थर लक्ष्य पूरा होने के आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की तथा एक सीपीएसई (सीपीसीएल) की समीक्षा बैठकों की आवधिकता तय नहीं थी। इस संबंध में बैठके आमतौर पर 1-12 बैठकों की सीमा में थी केवल एक सीपीएसई अर्थात मझगॉव डॉक लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान 21 बैठके की।

मूल्यांकन/प्रभाव आकलन: डीपीई का.ज्ञा. दिनांक 01.08.2016 के पैरा 2(V) के अनुसार, सीपीएसई द्वारा सीएसआर को कार्यान्वित करने के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र को शुरू किया जाना चाहिए था। सीपीएसई, सीएसआर परियोजना/गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए मामले के आधार पर प्रभाव निर्धारण किया। उपलब्ध डेटा के अनुसार, 20 सीपीएसई द्वारा प्रभाव आकलन पर कुल व्यय ₹ 1.91 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से:

- 49 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन किया
- 49 सीपीएसई में से
- 31 सीपीएसई ने बाहरी एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव आकलन कराया।
- 6 सीपीएसई ने (बेल, बीईएमएल, आईआरईएल, मिधानी, पीएचएल तथा यूसीआईएल) ने सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव का आतंरिक रूप प्रभाव आकलन किया,
- 6 सीपीएसई (बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनसीएल, पीजीसी आईएल तथा एसईसीएल) ने बताया कि प्रभाव आकलन दोनो प्रकार (आंतरिक तथा बाहरी एजेंसी से) से किया गया तथा
- 6 सीपीएसई (सीसीएल, आईओसीएल, एनएफएल, बीआरबीएल, आरवीएनएल तथा एसजेवीएन) ने प्रभाव आकलन के प्रकार का निर्दिष्ट नहीं किया।
- 33 सीपीएसई **(अनुलग्नक XXIX)** ने कोई प्रभाव आकलन नहीं किया।
- 33 सीपीएसई में से,
- 2 सीपीएसई (एनएफडीसी तथा पीवीटीएल) के संबंध में कोई निगरानी तथा आकलन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पूरी निधि को पीएमआरएफ या स्वच्छ गंगा निधि में दे दिए।
- 5 सीपीएसई (कोनकोर, राइटस, आरईसीपीडीसीएल, नाल्को तथा गेल गैस) ने 2018-19 के दौरान कोई प्रभाव आकलन नहीं किया क्योंकि इसकी सीएसआर नीति के अनुसार प्रभाव आकलनपाँच करोड (कोनकॉर, दो करोड़ (राईटस), एक करोड़ (आरईसीपीडीसीएल तथा नाल्को) तथा 50 लाख (गेल गैस) से उपर की परियोजनाओं के संबंध में किया जाना चाहिए था।

4.5.5 रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण

अधनियम की धारा 134(3) (ओ) के साथ पठित धारा 135(2) के अनुसार, कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट को शामिल करने और इसे अधिकारिक वेबसाइट पर रखने की आवश्यकता होती है। सीएसआरनियम 2014 के नियम 9 के अनुसार, कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का खुलासा करना होता है :

1. सीएस आर नीति की विषय-वस्तु , सीएसाआर नीति की वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की सरंचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारण।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण कीसीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्य और कंपनी की नीति के अनुपालन में था, भी शामिल करना।

82 सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्ननुसार है:

- दो सीपीएसई (आरईएमएल तथा यूसीआईएल) ने वार्षिक रिपोर्ट तथा वेबसाइट पर सीएसाआर नीति की विषय-वस्तु का जिक्र नहीं किया । सीपीसीएल ने सीएसआर नीति रिपोर्ट में योजनाओं के वेब लिंक कोवे रिपोर्ट नहीं दर्शाया।
- तीन सीपीएसई (सीपीसीएल, एचएससीसी तथा यूसीआईएल) ने निर्धारित प्रारूप का पालन नही किया ।
- एनटीपीवीवीएन ने अव्ययित राशि का विवरण नहीं दिया।
- 50 सीपीएसई (अनुलग्न XXX) ने प्रत्यक्ष तथा उपरि खर्चों के विवरण की योजनावार रिपोर्टिंग नहीं की थी। एनएफडीसी तथा पीवीटीएल ने पूरी निधि को क्रमश: पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा निधि में दे दिया; इसलिए, कोई उपरिव्यय नहीं किए गए। इन 50 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (एआईईएल, एनपीसीसी तथा एनपीसीआईएल) ने शून्य उपरिव्यय सूचित किया।
- 12 सीपीसीई[70] ने पिछले वर्षों के ₹ 844.19 करोड़ की अव्ययित राशि को आगे लाए, जिसका वार्षिक रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया।
- आरईएमएल ने सीएसआर नियम 2014 के नियम के तहत सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व विवरण को शामिल नहीं किया।

---

[70] ***एआईईएल, हुडको,आईआरएफसी, एमएमटीसी, एनएफएल, एनसीएल, एनपीसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, आरईसीएल, एससीआई, एसईसीएल***

- पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए तथा एक सीएसआर गतिविधि के लिए विभिन्न संस्थानों सीपीएसई द्वारा कोई दूसरी निधि प्राप्त नहीं कीजाए या निधि की ओवरलैपिंग से बचने के लिए, सीएसआर योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी का विवरण, को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेख किया जाना चाहिए था। यद्यपि, यह पाया गया कि छ: सीपीएसई (एनआरएल, बीपीसीएल, सीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी तथा एचपीसीएल) ने इसका जिक्र नहीं किया चार सीपीएसई (एनआरएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी तथा एचपीसीएल) ने अगले वर्ष से इसका खुलासा करने का आश्वासन दिया।
- एनटीपीएल तथा एचएससीसी को छोड़कर, सभी सीपीएसई के पास सीएसआर योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र था।
- चारों सीपीएसई (एन्ट्रिक्स, ईआईएल, आईटीपीओ तथा एसपीएमसीआईएल) ने कम्पनी अधिनियम तथा सीएसआर नियम 2014 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन किया था।

4.6 निष्कर्ष

अधिकतर सीपीएसई ने सीएसआर समिति के गठन तथा सीएसआर नीति के तैयार करने के संबंध में अधिनियम तथा सीएसआर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। 14 सीपीएसई ने सीएसआर निधि का बिलकुल दो *प्रतिशत* व्यय किया, 30 सीपीएसई ने 2 *प्रतिशत* से कम तथा 38 सीपीएसई ने दो *प्रतिशत* से ज्यादा व्यय किया अधिनियम की धारा 198 के अनुसार आईटीआई लिमिटेड का औसत निवल लाभ ऋणात्मक ₹ 0.02 करोड़ था। यद्यपि आईटीआई लिमिटेड ने 2018-19 में सीएसआर पर 0.64 करोड़ आवंटित तथा खर्च किए। दो सीपीएसई सीएसआर योजना से अधिशेष को सूचित किया तथा इसे सीएसआर में वापस ले लिया। स्वास्थ्य (35 *प्रतिशत*) तथा शिक्षा (33 *प्रतिशत*) में पिछले वर्ष की तरह अधिकतम निधियन प्राप्त किया। वर्ष के लिए आम विषय के संबंध में अर्थात स्कूल शिक्षा व स्वास्थ्य, 43 सीपीएसई 60 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त कर सकी। इसके अलावा, 55 सीपीएसई ने आकांक्षात्मक जिलों में सीएसआर व्यय किया। लेखापरीक्षित 82 सीपीएसई में से किसी भी सीपीएसई ने किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं दिया। अधिकतम सीएसआर व्यय उड़ीसा (₹ 481 करोड़) में, उसके बाद उत्तर प्रदेश (₹ 328 करोड़) तथा असम (₹ 307 करोड़) में किया गया। 82 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई ने जम्मू व कश्मीर (₹ 17.95 करोड़) में तथा 23 सीपीएसई (₹ 380.85 करोड़) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यय किए। 81 सीपीएसई के संबंध में निगरानी तंत्र लागू था। सीएसआर गतिविधियों, के चयन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता व उचित परिश्रम था। 82 सीपीएसई में से, केवल 51 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन किया। 12 सीपीएसई ने पिछले वर्षों की ₹ 844.19 की आगे लाई गई अव्ययित राशि को आगे लाई गई अव्ययित राशि का वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया।